चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/ 1976
दिनांक : 29/8/25

अधिसूचना

एतद्द्वारा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26.08.2025 को आहूत परीक्षा समिति की बैठक के मद संख्या–2 के संकल्प के अन्तर्गत निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2021–22 से प्रारम्भ एन0ई0पी0 से आच्छादित बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0 परीक्षा में प्रत्येक सेमेस्टर में अधिकतम 05 अंकों के कृपांक (Grace Marks) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सैद्धान्तिक परीक्षा में किन्हीं भी अधिकतम 03 पेपर कोड में वितरित कर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था 2021–22 से लागू होगी। ऐसे विषय कोड जिनकी परीक्षायें विश्वविद्यालय आयोजित नहीं कराता है यथा आन्तरिक परीक्षायें, प्रयोगात्मक परीक्षायें तथा कौशल विकास पाठ्यक्रम की सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं में ग्रेस अंक देने का प्रावधान नहीं होगा।

परीक्षा समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही यथोचित कार्यवाही कर संशोधित परीक्षा परिणाम ऑनलाईन जारी करते हुए संशोधित अंकतालिकायें शीघ्र ही निर्गत कर दी जायेंगी। समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक से अनुरोध है कि परीक्षा समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में जिन छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है उन्हें आगामी कक्षाओं के प्रवेश से न रोका जाय।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
5. समन्वयक, प्रवेश को इस आशय से प्रेषित कृपया प्रभावित छात्र/छात्राओं का नियमानुसार प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
6. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि परीक्षा समिति के उक्त निर्णय से अवगत होते हुए छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र/रिजल्ट सेल/अधिकृत एजेन्सी को इस आशय से कि परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी, कमेटी सेल।
9. प्रभारी, वेबसाईट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उक्त विज्ञप्ति समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)